ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

कार्य परिषद् की कार्यवाही

दिनांक 02 जनवरी, 2022 को अपरान्ह 05:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित समागार कक्ष में कार्य परिषद् की आहूत आपात बैठक की कार्यवाही :

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 हरिहर प्रसाद शुक्ल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
3.	प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष–हिन्दी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय	,,
4.	प्रो0 अरूनभ चटर्जी, एम.एस.–1/12, सेक्टर–ए, सीतापुर रोड, स्कीम लखनऊ।	,,
5.	प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी	,,
6.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	,,
7.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य विभाग सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	,,
8.	डॉ0 ततहीर फातिमा, सह आचार्य–गृह विज्ञान सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	,,
9.	प्रो0 फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग	,,
10.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू विभाग	,,
11.	डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य–भूगोल	,,
12.	डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य–उर्दू	,,
13.	डॉ0 मोहम्मद अकमल, सहायक आचार्य–उर्दू	,,
14.	डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू	,,
15.	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी	आमंत्रित सदस्य
16.	श्री संजय कुमार, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद के समस्त उपस्थित सदस्यगण एवं ऑनलाईन जुड़े सदस्यों का बैठक में स्वागत करते कुलसचिव को बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में कुलसचिव द्वारा आकस्मिक बैठक हेतु विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत किया गयाः–

बिन्दु–1 मा0 कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या–ई–8297/जी0एस, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं अनुमोदन पर विचारः

कुलसचिव द्वारा परिषद् को यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या--01/2020 दिनांक 21–02–2020 प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में विज्ञान संकाय के अर्न्तगत कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक आचार्य के कुल 03 पदों हेतु चयन समिति द्वारा दिनांक 10 एवं 11 अगस्त, 2020 को साक्षात्कार कराया गया तथा चयन समिति की संस्तुतियों को कार्य परिषद् द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को अनुमोदित किया गया। तत्क्रम में सुश्री अनम फातिमा को नियुक्ति पत्र दिनांक 28–08–2021 निर्गत किया गया, जिसके सापेक्ष सुश्री अनम फातिमा द्वारा दिनांक 15–09–2020 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

Add:- Sitapur-Hardoi Bypass Road, Lucknow -226013 U.P. (India) Contact:- 0522-2774041-45, Fax-05222774046
Website:- www.uafulucknow.ac.in, Email:- upuafulucknow@gmail.com

सुश्री अनम फातिमा के चयन के विरूद्ध डॉ0 शुगन कुमार मिश्र, सहायक आचार्य (संविदा) द्वारा धारा 68 के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दिनांक 19–11–2020 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 21–08–2021 को प्रस्तुत किया गया। धारा 68 में प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन पर उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

''विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कम्प्यूटर साइंस एवं इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर विश्वविद्यालय में चयन समिति द्वारा सुश्री अनम फातिमा का सहायक आचार्य के पद पर चयन और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा उक्त चयन का अनुमोदन विधि विरूद्ध है। अतः तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कार्य परिषद् को निर्देशित किया जाता है।''

''उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था के वर्तमान प्रकरण में लागू करने से स्पष्ट है कि सुश्री अनम फातिमा द्वारा सम्बन्धित सहायक आचार्य के पद पर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेने के पश्चात प्रतीक्षा सूची का अस्तित्व समाप्त हो गया। अतः उक्त चयन की प्रतीक्षा सूची के क्रम संख्या 1 में नामित प्रत्यावेदक को सुश्री अनम फातिमा के स्थान पर नियुक्त करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।''

''उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–21(1)(vii) के अनुसार विश्वविद्यालय में अध्यापकों को नियुक्त करने की शक्ति कार्य परिषद् में है। उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–31(1) के अनुसार विश्वविद्यालय में चयन समिति की संस्तुति पर अध्यापकों की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी। इसी प्राविधान के परन्तुक में विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवायें समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को है।''

मा0 कुलाधिपति महोदया के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में परिषद् द्वारा सुश्री अनम फातिमा सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग की नियुक्ति की मा0 कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 द्वारा विधि विरूद्ध किये जाने के कारण एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से सुश्री अनम फातिमा की सेवायें समाप्त किये (Removal from Service) जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों में गत वर्ष में चयनित संविदा एवं अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक अर्हताओं की जांच यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 में उल्लिखित मानकों के सापेक्ष कराये जाने हेतु एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया। समिति में वाहय विशेषज्ञ के रूप में प्रो0 मनीष गौड़ एवं प्रो0 अनुराग त्रिपाठी तथा कुलसचिव को रखा गया। गठित समिति से परिषद् द्वारा अपेक्षा की गयी कि समिति अपनी रिपोर्ट 01 सप्ताह के भीतर कुलपति को प्रस्तुत करेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ परिषद् की बैठक सम्पन्न हुयी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव/सचिव

Registrar
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष।

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति